न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

जमाबन्दी टाईटिल अपील वाद सं0–05/2011–12
(आर0एम0ए0)

विशु मुर्मू
बनाम
दंगवा सोरेन वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
23.08.2017	**आदेश** यह अपील वाद अपीलकर्त्ता श्री विशु मुर्मू, पिता–स्व0 गुंगा मुर्मू, ग्राम–सालपानी, अंचल–पाकुड़िया द्वारा आर0ई0आर0केस नं0–21/06–07 में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा दिनांक 25.02.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। उनका कहना है कि मौजा–सालपानी राजस्व थाना नं0–108, अंचल–पाकुड़िया के जमाबन्दी नं0–15 अंतिम सर्वे सेटेलमेन्ट के खतियान में की गयी प्रविष्टी के अनुसार 1. चैतन मुर्मू 2. नरेन मुर्मू 3. करन मुर्मू 4. खेला मुर्मू 5. गलसा मुर्मू के नाम से दर्ज है। नरेन मुर्मू एवं करन मुर्मू की मृत्यु नाबल्द हो गई। खेला मुर्मू का एक मात्र पुत्री सुकमा मुर्मू की शादी पहले साधारण तरीके से जलघाटा गांव में हुई, जहां उन्होंने एक पुत्री का जन्म दिया। उनके पहले पति के मृत्यु के बाद वे अपने पिता के घर आ गयी एवं गांव के विक्रम सोरेन से शादी कर लिया जिनसे उन्होंने चार पुत्रों 1. ढंगवा सोरेन 2. छेदे सोरेन 3. नोरेन सोरेन एवं 4. नान्दु सोरेन का जन्म दिया। विक्रम सोरेन जमाबन्दी नं0 47 का उत्तराधिकारी है। उसका पुत्रगण जमाबन्दी नं0 47 का दखलकार है। सुकमा मुर्मू की शादी घरजमाई तरीके से नहीं हुई है। खतियानी रैयत चैतन मुर्मू का दो पुत्र– 1. बड़का मुर्मू 2. गुंगा मुर्मू थे। अपीलार्थी गुंगा मुर्मू का पुत्र है। बड़का मुर्मू का एक पुत्री चुडकी मुर्मू की शादी सावना हेम्ब्रम के साथ घरजमाई रीति–रिवाज के अनुसार हुई है। शादी के बाद से अपने पिता के घर पर रह रही है। वे अपने पिता का हिस्से की जमीन का दखल में है एवं चास आबाद कर रही है। खतियानी रैयत गालसा मुर्मू का दो पुत्र मंगल मुर्मू एवं सोमाई	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

मुर्मू है। सभी खतियानी रैयतों की मृत्यु के बाद चैतन मुर्मू एवं गलसा मुर्मू द्वारा सभी जमीनों का बंटवारा आधा–आधा हिस्से में किया गया है। चैतन मुर्मू एवं गालसा मुर्मू को बंटवारे से प्रत्येक को 6–13–15 धूर जमीन प्राप्त हुआ। बड़का मुर्मू एवं गुंगा मुर्मू के द्वारा चैतन मुर्मू के हिस्से का जमीन आपस में 3–6–17 धूर कर बांट लिया गया।

अपीलकर्त्ता के साथ खतियानी रैयत का संबंध वंशवृक्ष के आधार पर निम्न प्रकार दिखाया गया है।

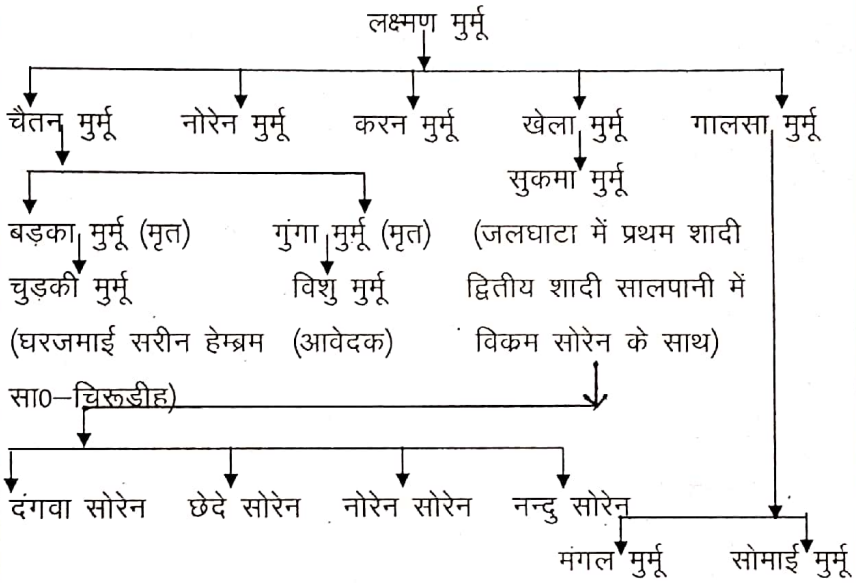

अपीलकर्त्ता के द्वारा जमाबन्दी नं0–15 की जमीन का लगान पूर्व से देते आ रहे है। उत्तरवादी नोरेन सोरेन के द्वारा राजस्व कर्मचारी से मिलकर दिनांक 04.01.2001 को लगान रसीद प्राप्त कर विवाद पैदा किया गया। राजस्व कर्मचारी द्वारा अपीलकर्त्ता से लगान लेना बन्द कर दिया। उत्तरवादियों के द्वारा जमाबन्दी नं0–15 का एक तिहाई जमीन को अतिक्रमण किया गया है, जिसपर उनलोगों को कोई स्वत्व एवं अधिकार नहीं है। उत्तरवादीगण इस मौजा के जमाबन्दी नं0–47 की जमीन का उत्तराधिकारी है, जो उनलोगों के पिता की सम्पत्ति है। उत्तरवादियों के मां की शादी घरजमाई रीति–रिवाज से नहीं हुई है। इनके द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के प्रतिवेदन को गलत एवं बनावटी प्रतिवेदन कहा गया है। इनके द्वारा यह भी कह गया है कि धोती, साड़ी गिफ्ट –

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

देकर घरजमाई तरीके से शादी का कोई नियम नही है। निम्न न्यायालय के द्वारा वास्तविकता को नहीं देखकर आदेश पारित किया गया है। इनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा यह वाद एस0पी0टी0एक्ट की धारा–42 के तहत दायर किया गया है। मौजा–सालपानी के जमाबन्दी नं0–15 का खतियानी रैयत– 1. चैतन मुर्मू 2. नरेन मुर्मू 3. करन मुर्मू 4. खेला मुर्मू एवं 5. गालसा मुर्मू है।

खतियानी रैयत करन मुर्मू एवं नोरेन मुर्मू की मृत्यु नाबल्द हो गई है। इसलिए मौजा–सालपानी के जमाबन्दी नं0–15 की जमीन दोनों खतियानी रैयत चैतन मुर्मू एवं खेला मुर्मू की हुई। चुंकि खतियानी रैयत गालसा मुर्मू गांव छोड़कर बरीन चले गये थे। इनके द्वारा भी खतियानी रैयतों का वंशवृक्ष दिया गया है। इनका कहना है कि खतियानी रैयत चैतन मुर्मू का दो पुत्र बड़का मुर्मू एवं गुंगा मुर्मू थे। अपीलार्थी गुंगा मुर्मू का पुत्र है। बड़का मुर्मू का पुत्री चुड़की मुर्मू जिसकी शादी घरजमाई के रूप में सावना हेम्ब्रम, पिता–माताल हेम्ब्रम, सा0–चिरूडीह, थाना–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ के साथ हुई है। घरजमाई तरीके से शादी होने के फलस्वरूप खतियानी रैयत चैतन मुर्मू के हिस्से का जमीन 6–13–14 धूर का हकदार बड़का मुर्मू की पुत्री चुड़की मुर्मू एवं विशु मुर्मू अपीलकर्त्ता के द्वारा आधा–आधा जमीन का हिस्सा किया गया।

खतियानी रैयत खेला मुर्मू का एक पुत्री सुकमा मुर्मू है। उसकी शादी घरजमाई रीति–रिवाज के अनुसार विक्रम सोरेन के साथ गांव सालपानी, थाना–पाकुड़िया में हुई है। सुकमा मुर्मू अपने पिता के मृत्यु के बाद सम्पूर्ण जमीन का हकदार धरजमाई पुत्री के आधार पर हकदार एवं दावेदार है।

सुकमा मुर्मू एवं उनके पति के मृत्यु के बाद उसका पुत्रगण (उत्तरवादी) सुकमा मुर्मू के हिस्से की जमीन का हकदार होने के कारण

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	

चास–आबाद कर भोग–दखल करते आ रहे है एवं लगान देते आ रहे है।

इनका यह भी कहना है कि सुकमा मुर्मू का पति विकम सोरेन जमाबन्दी नं0–47 का एक मात्र रैयत है। उनके द्वारा कुछ जमीन कृषि कार्य हेतु तालाब निर्माण के लिए दिया गया है एवं गांव वालों के लिए तालाब में मछली छोड़ा जाता है। अपीलकर्त्ता सुकमा मुर्मू (उत्तरवादी) के मां की हिस्से जमीन को हड़पना चाहती है। हल्का कर्मचारी के द्वारा बिना जांच किये अपीलकर्त्ता से मिलकर टेबुल रिर्पोट तैयार किया है। अपीलकर्त्ता का किसी तरह का शिड्यूल में वर्णित जमीन का स्वत्व एवं अधिकार नहीं है। केवल उत्तरवादी को शांतिपूर्वक दखल से परेशान किया जा रहा है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उत्तरवादियों के विरूद्ध धान चोरी के संबंध में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में पी0सी0आर0वाद सं0–250/2003 धारा–144/379 भा0द0वि0 दायर किया था, जिसमें मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अभियुक्तगण (उत्तरवादियों) पर लगाये गये आरोप निराधार होने के कारण दोषमुक्त किया गया है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा गलत दावा कर उत्तरवादियों को किसी तरह से उसके मां की हिस्से की जमीन से उच्छेद करने हेतु यह वाद दायर किया गया है। इनका यह भी कहना है कि नोरेन मुर्मू सुकमा मुर्मू का बड़ा लड़का है, जो विशु मुर्मू (अपीलकर्त्ता) से बड़ा है। इस प्रकार विशु मुर्मू को कैसे पता है कि सुकमा मुर्मू की शादी सामान्य रीति रिवाज के अनुसार हुई है। अपीलकर्त्ता को उत्तरवादियों के मां सुकमा मुर्मू के वंश का नाम की भी जानकारी नहीं है कि पूर्व में किसके साथ शादी हुई थी। इस संबंध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपील आवेदन को गलत एवं निराधार बताते हुए खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों, उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा बहस के दौरान उठाए गए विन्दुओं, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उभय पक्ष मूल खतियानी रैयत

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1		3

के वंश से आते हैं जिनके बीच सम्पति के बंटवारे को लेकर विवाद है, जिसे S.P.T. Act की धारा–42 के अन्तर्गत निष्पादित नहीं किया जा सकता। S.P.T. Act की धारा–42 के अन्तर्गत कृषि भूमि से अनधिकृत कब्जा को हटाने की कार्रवाई किया जा सकता न कि बंटवारा (partition), सही स्वत्व (Right title) या घरजमाई से संबंधित मामले का। यद्यपि कि उपायुक्त को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर जमीन पर अवैध कब्जा (wrongful possession of land) को Evict करने की शक्ति इस धारा के अन्तर्गत प्रदत्त है। लेकिन अपीलकर्त्ता इस बात को प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहे कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है जिस पर उनका Right title accrue करता है। यद्यपि कि उनके द्वारा जमाबन्दी सं0–47 के अन्तर्गत दाग नं0–443 से 100′X100′ जमीन शपथ–पत्र के माध्यम से दिनांक 04.02.2004 को विपक्षीगण द्वारा ग्राम विकास समिति को राजी से देने संबंधी शपथ–पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है। लेकिन उनके द्वारा सुकमा मुर्मू का शादी साधारण तरीके से हुआ या घरजमाई के रूप में इसके संबंध में न ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही संथाल रीति–रिवाज से साधारण शादी सम्पन्न होने से संबंधित कोई निष्पक्ष गवाह को ही उपस्थापित किया गया। इतना ही नहीं पहली शादी जलघट्टा में होने तथा पहले पति से एक लड़की के जन्म होने के संबंध में भी कोई Conclusive proof प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने हिस्से के जमीन का लगान भुगतान करने से संबंधित राजस्व रसीद की प्रति भी उपलब्ध कराया है। साथ ही जमाबन्दी नं0–15 की जमीन का बंटवारा किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, पाकुड़िया द्वारा भी उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी अवैध रूप से कृषि भूमि पर कब्जा (wrongful possession of Agricuture land) नहीं किए हैं जो कि धारा–42 को लागू करने के लिए मूलभूत सिद्धान्त है।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

उक्त विवेचन से अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाने के कारण बरकरार रखते हुए इस अपील वाद को अस्वीकृत/खारिज किया जाता है। आदेश से सभी सम्बद्ध को सूचित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.09 17:32:26 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with CamScanner